प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3397/2007

याचिकाकर्ता - 1. विमला जाटव, आयु लगभग 40 वर्ष, पति स्व. बंशीधर जाटव

2. संदीप जाटव, आयु लगभग 17 वर्ष, पुत्र स्व. बंशीधर जाटव

3. राजन जाटव, आयु लगभग 15 वर्ष, पुत्र स्व. बंशीधर जाटव

4. कु. एकता जाटव, आयु लगभग 13 वर्ष, पुत्री स्व. बंशीधर जाटव

5. सागर जाटव, आयु लगभग 9 वर्ष, पुत्र स्व. बंशीधर जाटव,

क्रमांक 2 से 5 नाबालिग, द्वारा प्राकृतिक अभिभावक माता, याचिकाकर्ता क्रमांक 1, सभी निवासी ग्राम नायकबांधा, पंडेपर्रा, अभनपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. उदय शंकर मिश्रा, पिता श्री पी.एल. मिश्रा, निवासी अमेरा, डाकघर चांदी, थाना अभनपुर, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा प्रभागीय प्रबंधक , प्रभागीय कार्यालय, मदिना बिल्डिंग, जेल रोड, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

श्री राघवेन्द्र प्रधान, अधिवक्ता, याचिकाकर्तागण की ओर से।

.....

आदेश

(दिनांक 21 जून, 2007 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 02.05.2007 (अनुलग्नक पी.-1) को पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी हैं, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 बीमा कंपनी को उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से भी दावा प्रकरण का बचाव करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. इस याचिका के निर्णय हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्तागण/दावाकर्ताओं ने मोटरयान अधिनियम, 1988[1] (जिसे आगे 'अधिनियम, 1988' कहा गया है) की धारा 170 के अंतर्गत दावा प्रकरण प्रस्तुत किया है। उत्तरवादी क्रमांक 2 बीमा कंपनी ने अधिनियम, 1988 की धारा 170(ब) के अंतर्गत लंबित दावा प्रकरण क्रमांक 60/87 (***विमला जाटव एवं अन्य बनाम उदय शंकर मिश्रा एवं अन्य***), जो कि 10वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर के समक्ष लंबित है, में यह कहते हुए आवेदन प्रस्तुत किया कि जिस वाहन स्वामी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है, उसने वाद का समुचित प्रतिवाद एवं बचाव नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अधिकरण ने सभी पक्षकारों को सुनने तथा याचिकाकर्ताओं/दावाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उत्तरवादी क्रमांक 2 यह स्थापित करने में सफल रहा है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दावा प्रकरण का समुचित बचाव नहीं किया। फलस्वरूप, अधिनियम, 1988 की धारा 170(ब) के अंतर्गत उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर लिया गया।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि अधिनियम, 1988 की धारा 170 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी को उपधारा (क) एवं (ख) दोनों में निहित शर्तों को संतुष्ट करना आवश्यक है। इस संदर्भ में

---

1 1999 (1) Motor Claim Cases 193

केरल उच्च न्यायालय के निर्णय ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेरी ज़ेनेट*** का अवलंब लिया गया। धारा 170, मोटरयान अधिनियम, 1988 का प्रावधान इस प्रकार है :–

> "170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना- जहां जांच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि-
>
> (क) दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दुरभिसंधि है; या
>
> (ख) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, उस दावे का विरोध करने में असफल रहा है, वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि वह बीमाकर्ता, जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है, उस कार्यवाही का पक्षकार बनाया जाए और ऐसे पक्षकार बनाए गए बीमाकर्ता को तब धारा 150] की उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार होगा कि वह उस दावे का विरोध उन सब या किन्हीं आधारों पर करे, जो उस व्यक्ति को प्राप्त है, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. धारा 170 की उपधाराएँ (क) एवं (ख) स्पष्ट एवं निर्विवाद हैं। यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि जब किसी विधिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट एवं निर्विवाद हो, तब उसकी व्याख्या हेतु किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उक्त धारा से यह स्पष्ट है कि अधिकरण को या तो उपधारा (क) अथवा उपधारा (ख) में वर्णित किसी एक शर्त के संतुष्ट होने पर ही बीमाकर्ता को प्रतिवाद का अधिकार प्रदान करना है। दोनों शर्तों का एक साथ संतुष्ट होना आवश्यक नहीं है।

6. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत, इस न्यायालय ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. यह सत्य है कि अधिकरण ने इस तथ्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया कि जिसके विरुद्ध दावा किया गया है (वाहन स्वामी), उसने दावे का समुचित प्रतिवाद नहीं

किया। अतः आक्षेपित आदेश दोषरहित है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का न्यायिक पुनर्विलोकन उस स्थिति में कर सकता है, जब कार्यवाही के अभिलेख पर स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष त्रुटि परिलक्षित हो, जो विधि के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना या घोर उपेक्षा पर आधारित हो, अथवा जिससे न्याय का विफल होना या गंभीर अन्याय उत्पन्न हुआ हो। साथ ही, यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षणीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग निर्णय-प्रक्रिया में विकृतता, अनियमितता या अवैधता होने की स्थिति में कर सकता है, न कि स्वयं निर्णय के गुण-दोष के परीक्षण हेतु।

9. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। फलस्वरुपः, यह याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**